न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–432/2019</u>

अतिन्द्र सिंह उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र श्री शेर सिंह, नि0ग्राम बसारी, थाना निगोही, जिला शाहजहॉपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।
परिवाद सख्या 135/2016,
धारा–392,323,504,506 भा0दं0सं0
थाना–निगोही, जिला–शाहजहाँपुर।

<u>07–02–2019</u>

आपराधिक परिवाद सख्या 135/2016, राजवीर बनाम शेर सिंह आदि, के मामले में न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0, शाहजहॉपुर द्वारा परिवादी राजवीर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर आवेदक/अभियुक्त अतिन्द्र तथा सहअभियुक्तगण को धारा 392,323,504,406 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु आहूत किये जाने पर आवेदक/अभियुक्त अतिन्द्र की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका सख्या 422/2019 शेर सिंह व दो अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य योजित की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सम्मानित आदेश दिनांक 08.01.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश पारित किये जाने के 30 दिन के अन्दर आत्म सर्मपण किये जाने पर उसके जमानत प्रार्थना पत्र का प्रतिपादित विधिक सिंद्वातो के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्म सर्मपण किये जाने पर उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर प्रश्नगत जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में सुनवायी हेतु प्रस्तुत किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त की ओर से शपथकर्ता शेर सिंह पुत्र श्री तन्सुख द्वारा शपथ पत्र में वर्णित किया गया कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व अन्य किसी न्यायालय में न तो विचाराधीन है न ही निरस्त किया गया है।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में वर्णित किया गया कि उसके द्वारा दिनांक 15.07.2014 को मोहल्ला गदियाना, शहबाजनगर रोड, तहसील सदर जिला शाहजहॉपुर के विक्रीत प्लाट से प्राप्त धनराशि मु0 1,50,000/–रूपये बैंक में जमा करने के लिए अपनी पत्नी श्रीमती कान्ती देवी के साथ कस्वा निगोही जा रहा था। समय करीब 12.00 बजे दिन दो मोटर साइकिलों पर शेर सिंह पुत्र तन्सुख, सतेन्द्र व अतेन्द्र पुत्रगण शेर सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति हथियारों से लैस होकर जबरिया उन्हें रोक लिया। शेर सिंह ने तमंचा निकालकर वादी की कनपटी पर रख दिया और वादी के डेढ़ लाख रूपये के थैले को छीन लिया तथा पत्नी के पहने हुए कुन्डल व पायजेबरी लूट ली। शोर पर अन्य लोगो द्वारा गाली गलौज तथा मारपीट की गयी। मौके पर मोर पाल व अमर सिंह आ गये

जिनके ललकारने पर वह भाग गये। थाने पर घटना की रिपोर्ट दर्ज न होने पर दिनांक 21.07.2014 को पुलिस अधीक्षक, शाहजहॉपुर को प्रार्थना पत्र दिया गया। कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 30.07.2014 को परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवाद कथानक की पुष्टि में परिवादी राजवीर को धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अधीन पी0डब्लू0 1 मोर पाल तथा पी0डब्लू0 2 कान्ती देवी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर आवेदक/अभियुक्त पूर्वोक्तानुसार आहूत किया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एंव अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना। उपलब्ध कराये गये प्रपत्रो का अवलोकन किया।

परिवादी द्वारा दिनांक 15.07.2014 को कथित लूट की घटना के सम्बन्ध में उक्त दिनांक को थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नही की गयी है, बल्कि परिवादी द्वारा दिनांक 30.07.2014 को न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवाद कथानक में शेर सिंह द्वारा वादी की कनपटी पर तमंचा रखकर रूपये की लूट तथा उसकी पत्नी के कुन्डल व पायजेबरी लूटना वर्णित किया गया। जब कि परिवादी द्वारा धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयानो में अतेन्द्र द्वारा रूपया छीनना बताया गया तथा परिवादी की पत्नी श्रीमती कान्ती देवी द्वारा अभियुक्त द्वारा लूट की घटना बतायी गयी। जिस विक्रीत भूमि से प्राप्त धनराशि को लेकर बैंक में जमा किये जाने का उल्लेख किया गया उक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित कथित विक्रय पत्र की कोई भी प्रतिलिपि परिवादी द्वारा परिवाद कथानक के साथ पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ मूल वाद सख्या 138/2011 सतेन्द्र बनाम राजवीर के वाद पत्र की प्रतिलिपि दाखिल कर पूर्व से पक्षकारो के मध्य मुकदमेवाजी की रंजिश को लेकर मामले में झूठा फॅसाये जाने के तर्क रखे है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया जा सकता है, जिससे अभियुक्त की पूर्व में चोरी, लूट तथा डकैती आदि की घटना में संलिप्तता एंव दोष सिद्वि वर्णित की जा सकी हो। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी स्थिति में वर्णित परिस्थितियों में मामले के गुणदोष पर कोई मत प्रकट किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/–लाख रूपये का स्वबंधपत्र एवं इतनी ही राशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 07–02–2019

(जय शंकर मिश्र)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।